न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-1661RAAJodhpur2023-83RTA223 Devaram ors Vs State of Rajasthan etc

01. देवाराम पुत्र श्री फुलाराम
02. चेलाराम पुत्र श्री फुलाराम
03. चन्द्राराम पुत्र श्री हमीराराम

सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम पीपरली, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जिला कलक्टर जोधपुर।
2. तहसीलदार लूणी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2008 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या 26/2003 देवाराम बनाम सरकार

उपस्थित-

श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट् स

नि र्ण य

दिनांक : 19 जनवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 26/2003 देवाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2008 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2023 को प्रस्तुत की है।

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92-ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 23 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा ग्राम पीपरली तहसील लूणी के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स का संवतः 2010 से पहले से लगातार बिना रोक-टोक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पहले से बहैसियत टिनेंट कब्जा काश्त हैं, इसलिए अपीलांट्स को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में उनके नाम की प्रविष्टि की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2008 के जरिये वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

वकील रेस्पोडेंट्स के निवेदन पर सर्वप्रथम उभय पक्ष के अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अपीलांट्स को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। हाल ही में पटवारी हल्का द्वारा बेदखली का नोटिस देने पर जानकारी हुई। प्रार्थी द्वारा अपने वाद के बारे में पता करने के लिए अपने अधिवक्ता श्री बाबुलाल लोहार एडवोकेट के ऑफिस जाकर सम्पर्क किया तो पता चला कि प्रार्थी के अधिवक्ता की बहुत वर्षो पूर्व मृत्यु हो चुकी है, जिसके बारे में प्रार्थी को पूर्व में जानकारी नहीं थी। प्रार्थी ने

19.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष उक्त अनवान के आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 27.03.2023 को नकल प्राप्त की, तब प्रार्थी को प्रथम बार यह ज्ञात हुआ। इसके अलावा अन्य किसी भी स्त्रोत से जानकारी नहीं हुई। प्रार्थी ने जमाबंदी की नकल एवं आदेश की नकल प्राप्त कर एवं अपने अधिवक्ता के वारिसो से सम्पर्क कर, चूंकि वादी के अधिवक्ता की मृत्यू हो चुकी है, आफिस से बहुत खोजने पर उक्त फाईल की जानकारी प्राप्त हुई, तब आदेश की नकल प्राप्त कर प्रथम जानकारी से यह अपील प्रस्तुत की जो जानकारी से अंदर म्याद है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जावे एवं अपील गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जावे।

जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होते वक्त अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री बाबुलाल लोहार के उपस्थित रहने से अपीलांट्स को आलौच्य आदेश की जानकारी शुरुआत से ही रही है। अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई बेदखली को नोटिस अपील स्तर पेश नहीं किया जिससे अपीलांट्स के कथनों की ताईद हो सके। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के 15 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की है, जिसके विलंब का कोई संतोषजनक एवं सुसंगत कारण नहीं बतलाया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

19.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2008 अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री बाबुलाल लोहार एवं सरकारी पैरोकार की उपस्थिति में पारित किया जाना पाया जाता है। कानूनन अपीलांट्स के एडवोकेट्स की उपस्थिति में पारित किया गया आदेश अपीलांट्स की जानकारी में माना जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का से बेदखली का नोटिस प्राप्त होने का कथन किया गया है, किंतु अपीलांट्स द्वारा अपने कथन की पुष्टि बाबत ऐसा कोई नोटिस/दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित होने के 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलंब को कोई संतोषजनक एवं सदभाविक कारण नहीं बतलाया है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलांट म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 26/2003 देवाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 मार्च 2008 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर